



-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 01.10.2026

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ **जान से मारने की नीयत से व्यक्ति पर अवैध तमचे से फायर करने वाले अभियुक्त को थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार । अभियुक्त के कब्जे से अवैध तमचा व खोखा कारतूस बरामद ।**

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के कुशल निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण तथा वांछित अभियुक्तों व अवैध शस्त्रों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में दिनांक 30.09.2026 की देर शाम को थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा व्यक्ति को जान से मारने की नीयत से अवैध तमचे से फायर करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त के कब्जे से अवैध तमचा व खोखा कारतूस बरामद किया गया है । गौरतलब हो कि थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के रहने वाले महन्तु द्वारा सूचना दी गई कि गांव के ही एक व्यक्ति द्वारा आपसी विवाद के चलते अवैध तमचे से जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया । सूचना प्राप्त होते ही थाना कोतवाली देहात पर धारा 109 BNS का अभियोग पंजीकृत करते हुए अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन किया गया । इसी क्रम में अभियुक्त को बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे महोखर के पास थाना कोतवाली देहात से गिरफ्तार कर लिया गया है । अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध तमचा व खोखा कारतूस बरामद हुआ है ।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. कल्लू उर्फ बृजराज पुत्र सुरेन्द्र पाल निवासी ग्राम जारी थाना कोतवाली देहात जनपद बांदा

पंजीकृत अभियोग-

➤ मु0अ0सं0- 256/26 धारा 109 बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली देहात जनपद बांदा ।

बरामदगी -

1. अवैध तमचा (315 बोर)
2. खोखा कारतूस (315 बोर)

गिरफ्तारी करने वाली की टीम-

1. उ0नि0 श्री गजबये आलम थाना कोतवाली देहात
2. कां0 अंकेश यादव
3. कां0 माधव सिंह